भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 490

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2021

एमएसएमई के विकास हेतु आर्थिक सहायता

490. श्री रवि किशनः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री सुब्रत पाठक
श्री विद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित मौजूदा बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोविड-19 की अवधि के दौरान बंद/रुग्ण एमएसएमई इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कोविड-19 की अवधि के दौरान बंद/रुग्ण एमएसएमई इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के तहत एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साथ करार किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने कोई योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत ग्राह्य ऋण की सीमा के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें योजनाएं/कार्यक्रमों जैसे गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), एमएसई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी-प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) के तहत एमएसएमई हेतु 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण, आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल मुक्त ऋण, एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी योजना, फुटपाथ विक्रेताओं को कोलेट्रल मुक्त ऋण के लिए प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना इत्यादि शामिल हैं। आज तक 34 बैंकों ने सीजीएसएसडी के तहत पंजीकरण कराया है। जैसा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सूचित किया गया है, 25.01.2021 तक ईसीएलजीएस के तहत लगभग 2,01,364 करोड़ रुपए की गारंटी जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण संस्थानों द्वारा विस्तारित क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी भी प्रदान करता है।

(ख) : जैसाकि 29.01.2021 को आरबीआई द्वारा प्रकाशित रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया बैंक क्रेडिट का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

21 दिसम्बर, 2018	29 मार्च, 2019	20 दिसम्बर, 2019	27 मार्च, 2020	18 दिसम्बर, 2020
1004744	1067175	1061953	1149394	1131858

स्रोत-आरबीआई

(ग) : मार्च, 2016 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क' पर दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही रूग्णता की अवधारणा अब मौजूद नहीं है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंकों को एमएसएमई खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान (पहले की परिभाषा के अनुसार खाते के रूग्ण होने से पहले) करने और इसे उपयुक्त सुधारात्मक कार्य योजना जैसे सुधार, पुनर्गठन और वसूली हेतु फ्रेमवर्क के अंतर्गत गठित समिति के पास भेजने की सलाह दी गई है। इस संबंध में मार्च, 2017 को समाप्त छमाही से लेकर मार्च, 2020 को समाप्त छमाही तक के आंकड़े अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(घ) से (च) : जैसाकि ऊपर दिए गए प्रश्न के भाग (क) में इंगित किया गया है, सरकार ने अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दबाबग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों यथा एसएमए-2 और एनपीए खाते जोकि ऋण प्रदाता संस्थानों की बहियों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं, उन्हें सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी के तहत कवर की जाने वाली क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रमोटर ऐसी इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए निधि को समावेशित करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई सहित ऐसे खाते जोकि एसएमए-0 और एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं हेतु व्यवसाय के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण की भी घोषणा की है।

*****

<u>अनुबंध- I</u>

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 490, जिसका उत्तर 04.02.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-।

एमएसएमई के पुनरूद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क पर आंकड़े

(वास्तविक लेखा)

क्र.सं.	छमाही के लिए	छमाही के दौरान समिति को भेजे गए खाते (1)	छमाही के दौरान समिति द्वारा निपटाए गए खाते (2)	समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (2 में से)		
				संशोधन	पुनर्गठन	वसूली
1	अक्टूबर 2016-मार्च 2017	100803	137282	80905	2197	54180
2	अप्रैल 2017- सितम्बर 2017	87062	95107	58512	207	36388
3	अक्टूबर 2017 - मार्च 2018	130208	130473	81492	1024	47957
4	अप्रैल 2018 - सितम्बर 2018	150165	123227	76172	201	46854
5	अक्टूबर 2018 से मार्च 2019	142275	146519	78737	15425	52357
6	अप्रैल 2019 - सितम्बर 2019	172949	150613	71203	14240	65170
7	अक्टूबर 2019 - मार्च 2020	339728	324621	71938	148369	104314

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

*समितियों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या उन्हें भेजे गए मामलों से अधिक है जिसका कारण छमाही के प्रारंभ में समितियों के पास कुछ लंबित मामले थे जिन्हें उक्त अवधि के दौरान निपटाया गया है।

*****